न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 28/2024

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 4 जी, फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री दारा सिंह पुत्र श्री कंवरपाल गुर्जर निवासी पट्टा नंबर 41, ग्राम कीरतपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा राज0 303313 (ऋणी)
2. श्रीमती मूली देवी पत्नि श्री दारा सिंह निवासी पट्टा नंबर 41, ग्राम कीरतपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा राज0 303313 (सहऋणी)

....अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 01.05.2024

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री दारासिंह पुत्र श्री कंवर पाल गुर्जर व अन्य को दिनांक 26.02.2023 को 3,28,395/– रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.–3 में वर्णित संपति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक मे बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.11.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत दिया गया तथा दिनांक 12.12.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 3,81,862/– रूपये निकलते है जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 12.12.2023 की रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात को समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या–3 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 03.11.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 में दिया गया का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेंस लि0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstrucation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित संपति पट्टा नम्बर–41 कुल एरिया 633 वर्गफीट ग्राम कीरतपुरा पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा–303313 है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी द्वारा नियमानुसार कब्जा वापसी की कार्यवाही करवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा